विधान सभा अतारांकित प्र.

क्र. 1290

प्रश्न सं. [क्र. 1290]

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जबलपुर

क्रमांक /900/ स्टे./अविअ/2021 जबलपुर, दिनांक - 8/02/2021

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(शिकायत शाखा)
जबलपुर

विषयः- ग्राम घाना की भूमि का आबादी घोषित करने बावद।

संदर्भः- 1. मान.श्री संजय यादव विधायक वि.स.क्षे. 96 बरगी के पत्र क्र. 545, 546, 548, 612, 165, 1498 दिनांक 29/12/2020, न्याया. अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी ग्रामीण जबलपुर के पत्र क्र. 642/प्र.अ.कले.ग्रा./2021 जबलपुर दिनाक 21/01/2021, कार्या. जिला पंचायत जबलपुर के पत्र क्र. 2854/जनप्रतिनिधि प्रको./2020,जबलपुर दिनांक 02/09/2020 एवं पत्र कमांक/स्टेनो/2021/121 जबलपुर ,दिनांक 07/01/2021 एवं उत्तरा टी.एल. कमांक 660611।

—00—

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र के माध्यम से कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत जबलपुर के द्वारा ग्राम घाना प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. जबलपुर-2 स्थित भूमि ख.नं. 167 रकवा 0.470 हे., ख.नं. 190 रकवा 1.700 हे., ख.नं. 244 रकवा 4.94 हे. मे से रकवा 2.00 हे. भूमि आबादी मद में घोषित किये जाने हेतू स्थानीय विधायक श्री संजय यादव, विधायक बरगी विधानसभा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ थे। जिसकी जाचं तहसीलदार जबलपुर ,से कराई गई है।

तहसीलदार जबलपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदन दिया गया है कि उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि :-

1. प्रश्नाधीन भूमि जबलपुर-नागपुर मुख्य मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर है एवं व्यवसायिक महत्व की है यदि इस भूमि को आबादी भूमि घोषित किया जाता है तो शासन को बहुमूल्य क्षति होगी।
2. यह कि स्थानीय सचिव ग्राम पंचायत घुन्सौर को कई बार स्मरण के उपरांत भी ऐसी कोई सूची ग्राम पंचायत में संधारित नही की गई है जिसमें ग्राम घाना के आवासहीनो की संख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सके।
3. स्थानीय पंचान के अनुसार ग्राम घाना मे कोई भी व्यक्ति आवासहीन नही है।
4. ग्राम पंचायत घुन्सौर ग्राम घाना नगर निगम सीमा के तटस्थ विशिष्ट ग्राम है जिसमें भविष्य में विकासउन्मूल गतिविधियां संभव्य है, शासन के विभिन्न कार्यालयों एवं निगमो आदि के लिए भविष्य में भूमि की आवश्यकता होगी। उक्त भूमि के आबंटन पश्चात ऐसी व्यवसायिक महत्व की भूमि ग्राम पंचायत के पास शेष नही बचेगी।

अतः ग्राम घाना प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. जबलपुर-2 स्थित भूमि ख.नं. 167 रकवा 0.470 हे., ख.नं. 190 रकवा 1.700 हे., ख.नं. 244 रकवा 4.94 हे. में से रकवा 2.00 हे. भूमि को मद परिवर्तित कर आबादी घोषित किया जाना उचित नही है।

उक्तानुसार शिकायत को टी.एल. से विलोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेशित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण, जबलपुर